न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग

प्रकरण संख्याः— 214/2011 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2011/00017), पीठासीन अधिकारीः— श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

पार्वती वेवा सोहनलाल जाति जाटव निवासी ग्राम सांमई तहसील व जिला डीग(राज0)

—वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग

—प्रति0

दावा बावत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88—89 आर.टी.एक्ट,

निर्णय दिनांकः 19.11.2024

वादी द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बर 381/10, रकबा 0.18 वाके ग्राम सांमई तहसील डीग में स्थित है। साविक आराजी खसरा नम्बर 704/64 बीघा 4 विस्वा वाके ग्राम सांमई तहसील डीग में से रकबा 1 वीघा 2 विस्वा सन 1972 में वादनी के पति सोहनलाल पुत्र चैना जाति जाटव को राज्य सरकार द्वारा एलॉट किया गया था और तभी से वादनी का पति सोहनलाल उक्त एलॉटशुदा आराजी पर बतौर एलॉटी गैर खातेदार काश्त करता चला आ रहा था। उक्त एलॉटशुदा भूमि मुतदाविया की सरकारी रकम भी वादनी के पति द्वारा जमा कराई जा चुकी है। मुताविक कानून वादनी का पति आराजी की बावत खातेदारी प्राप्त कर चुका था और बतौर खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा था। बन्दोवस्त हाल में उक्त साविक नम्बर 704 के रकबा 1 वीघा 2 विस्वा कब्जे काश्त वादनी से नवीन नम्बर 381/10 रकबा 0.18 हैक्टेयर वनाया गया है जिस पर मुताविक साविक पति की मृत्यु के बाद से वादनी का कब्ज काश्त बतौर खातेदार काश्तकार बतौर वारिस चला आ रहा है तथा इस वक्त मौके पर भी विवादित आराजी पर वादनी का ही कब्जा काश्त बतौर खातेदार काश्तकार है। वादनी के पति का कुछ अरसा पूर्व देहान्त हो चुका है और वादनी ही अपने मृतक पति सोहनलाल की एकमात्र वारिस है और वादनी अपने आपको आराजी मुत0 की खातेदार काश्तकार घोषित कराकर राजस्व रिकार्ड में अंकित करा पाने की अधिकारी है। अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 381/10 रकबा 0.18 हैक्टेयर वाके ग्राम सांमई तहसील डीग की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादनी के मृतक पति सोहनलाल पुत्र चैना को जो उक्त आराजी का एलॉटी गैर खातेदार अंकित किया जा रहा है को कलमजन किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 18.10.2011 को प्रति0/तहसीलदार स्वयं उपस्थित होकर जबाव दावा पेश किया गया। जबाव में वर्णित किया गया है कि आराजी मुत0 साविक खसरा नम्बर 704 रकबा 64 वीघा 4 विस्वा ग्राम सांमई तहसील डीग राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज थी तथा चारागाह भूमि राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं राज0कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को आवंटित नहीं हो सकती और ना ही ऐसी भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष को खातेदारी अधिकार अर्जित हो सकते है। आराजी मुत0 सार्वजनिक उपयोग की पशुओं

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

की चराई हेतु सरकारी भूमि है। जिस पर सार्वजनिक हित निहित है। वादी का उक्त भूमि पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। साथ ही दावा आवश्यक प्रवृति का नहीं है। सरकार के विरूद्व दावा दायरी से पूर्व 80 सी. पी.सी.का नोटिस दिया जाना लाजिमी था। इस प्रकार से दावा वादी खारिज योग्य है जोकि खारिज फरमाया जावे।

दावा व जबाव दावा की प्लीडिंग के आधार पर निम्नांनुसार तनकीयात कायम की गईः–

1. आया वादिया विवादित आराजी पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारी है?
2. विवादित आराजी साविक नम्बर 704/64–4 वीघा राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज थी। चारागाह भूमि को आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत किसी को खातेदारी/आवंटित नहीं की जा सकती है?
3. दादरसी?

दिनांक 19.04.2017 को साक्ष्य वादिया में मदनचन्द एवं अरविन्द के बयान कराकर साक्ष्य वादिया पूर्ण की जाकर प्रकरण/दावे को बहस हेतु नियत किया गया। दिनांक 21.09.2022 को वकील वादिया की बहस पेश की गई तथा तहसीलदार डीग से प्रकरण में कब्जे की रिपोर्ट हेतु लिखा गया। साथ ही वकील वादिया को साविक खसरे की नकल पेश करने हेतु निर्देशित किया गया।

दावे में तहसीलदार डीग के पत्रांकःएल.आर./22/129 दिनांक 12.01.2023 को प्राप्त रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि आराज खसरा नम्बर 381/10 रकबा 0.18 में मौके पर इस बर्ष ज्यादा बरसात होने के कारण उक्त खसरे में पानी भरा हुआ है तथा कोई फसल नहीं बोई गई है। उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि उक्त खसरा नम्बर पर वादी पार्वती व इनके परिवार का ही कब्जा चला आ रहा है।

वकील वादिया ने अपनी बहस प्रस्तुत करते हुए दावे में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि आराजी खसरा नम्बर 381/10 रकबा 0.18 हैक्टेयर वाके ग्राम सांमई तहसील डीग आवंटित भूमि एवं उसका कब्जा काश्त पर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादनी के मृतक पति सोहनलाल पुत्र चैना को जो उक्त आराजी का एलॉटी गैर खातेदार अंकित किया जा रहा है को कलमजन किया जावे।

पैरोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि आराजी मुतनाजा साविक खसरा नम्बर 704 रकबा 64 वीघा 4 विस्वा ग्राम सामई राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज थी तथा चारागाह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं राज0 कृषि प्रयाजनार्थ भूमि आवंटन नियत 1970 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को आवंटित नहीं हो सकती और न ही ऐसी भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष को खातेदारी अधिकार अर्जित हो सकते है। आराजी मुतनाजा सार्वजनिक उपयोग की पशुओं की चराई हेतु सरकारी भूमि है। जिस पर सार्वजनिक हित निहित है। दावा वादी खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों,वादी के वादपत्र,प्रतिवादी के जबाव दावे,तहसीलदार डीग की कब्जे के सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट गवाह स्वयं वादी पी–डब्ल्यू–1, पीडब्ल्यू–2, पीडब्ल्यू–3,अरविन्द,प्रदर्श पी–1,जमाबन्दी सम्बत 2066–2069,प्रदर्श पी–2, मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 प्रदर्श–3, खसरा गिरदीवरी सम्बत 2029,प्रदर्श पी–5, नामा0 संख्या 754 दिनांक 30.04.1972 का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्बत 2066–2069 में खसरा नम्बर 381/10 रकबा 0.18 बारानी प्रथम सोहनलाल पुत्र चैना कॉम जाटव सा0देह गैर खातेदार एलॉटी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। सोहनलाल पुत्र चैना जोकि वादिनी का पति है। कुछ अरसा पूर्व देहान्त हो चुका है। वादिनी ही अपने मृतक पति सोहनलाल की एक मात्र वारिस है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार डीग से दिनांक 12.01.2023 की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नम्बर पर वादिनी पार्वती व इनके परिवार का ही कब्जा काश्त है। वादिनी के पति को नामा0 संख्या 764 स्वीकृत दिनांक 30.11.1972 के द्वारा जिला कलक्टर के द्वारा खसरा नम्बर 704 रकबा 1 वीघा 2 विस्वा किस्म चारागाह से 1 वीघा 2 विस्वा भूमि आवंटित हुई थी। वादी का खसरा नम्बर 38 रकबा 1.55 हैक्टेयर,मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2044के अनुसार खसरा नम्बर 704 मिन रकबा 64 वीघा 4 विस्वा से बना है। जोकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि थी। वकील वादी ने बहस में साक्ष्य के रूप में खसरा नम्बर 3177/381, खसरा नम्बर 3182/381 की जमाबन्दी सम्बत 2074–2077 पेश की है और कथन किया है कि अन्य आदमी खातेदारों को खसरा नम्बर 381 में कब्जे के आधार पर खातेदारियां दी जा चुकी है। एलॉटी खातेदार वादी को कब्जे काश्त के आधार पर खसरा नम्बर 381/10 रकबा 0.18 किस्म वारानी प्रथम पर खातेदारी दी जावे। आर.आर.डी. 1973 पेज नम्बर 508 न्यायिक निर्णय में चारागाह भूमि पर खातेदारी अधिकारों का प्रावधान नहीं होना धारित किया गया है। धारा 16 में वर्णित भूमियों पर कब्जे को भी विनियमित नहीं किया जा सकता है। इस अधिनियम में अथवा राज्य के किसी भाग में तत्समय प्रश्न किसी अन्य विधि या अधिनियम में किसी बात के होते हुए खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। ऐसी स्थिति में हम उपर्युक्त विवरण अनुसार दावा वादिया खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः–

वादिया का दावा दस्तावेजी साक्ष्य से सावित नहीं होने पर अस्वीकार किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner